प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर राय, निवासी जनपद-जौनपुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4747/प्रो0/214/पार्ट-3, दिनांक 13.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर राय, ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 07/08.05.1984 को अपने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान के चुनाव में उपजे विवाद के कारण बन्दूक व बल्लम से हमला करके 11 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 27.02.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2005 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 38 वर्ष 01 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 46 वर्ष 10 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा किया गया सामूहिक नरसंहार (11 हत्या) समग्र समाज के विरूद्ध किया गया जघन्य अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 व शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0 /2018 दिनांक 28 जुलाई, 2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018 दिनांक 27 मई, 2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर राय की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश (बन्दी संख्या-41924) पुत्र श्री उमाशंकर राय, निवासी जनपद-जौनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-135/2025/1696(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि**0)** डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 एवं दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।